B.A. Part-3 J.S. Mill on Liberty
Paper – 6th

Topic :– जे० एस० मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार ।

स्वतंत्रता संबंधी मिल के विचार उसकी पुस्तक "On Liberty" मे मिलते है। उपयोगितावादी विचारक होने के कारण इसने इस बात को स्वीकार किया कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के साथ स्वयं ही अपना हित समझता है। व्यक्ति को ~~अधिकार~~ अपने व्यक्तित्व का विकास करने और उसे सर्वोत्तम बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मिल ने जहाँ एक ओर व्यक्तित्व विकास को मानव जीवन का ध्येय मानते हुए राज्य और समाज द्वारा प्रस्तुत बाधाओं के निराकरण को आवश्यक माना है, वहीं दूसरी ओर उसने यह भी स्वीकार किया है कि समाज अथवा राज्य को व्यक्तिगत आचरण के उस भाग को नियंत्रित करने का अधिकार है जो दूसरों से संबंध रखता है। प्रो० सेबाइन के अनुसार "मिल स्वतंत्रता, ईमानदारी, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत अभ्युदय को अपने आप में ही अच्छी चीजें मानता था क्यों कि ये चीजें अवश्य ही सुख की वृद्धि करती है, किन्तु यदि इनसे सुख की वृद्धि न भी हो तब भी ये ग्राह्य है"। मिल का इस तरह का नैतिक विश्वास उदारवादी समाज की सम्पूर्ण संकल्पना में निहित है।" इस प्रकार हम देखते है कि मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज अथवा राज्य के हस्तक्षेपों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिल के अनुसार समाज अथवा राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का अधिकार नहीं है, तथापि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्यों द्वारा दूसरे की समानता में बाधा उत्पन्न करता है तो समाज अथवा राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार हो जाता है।

स्वतंत्रता की परिभाषा :– मिल के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने उपयोगितावाद और समाजवाद में समन्वय स्थापित करके स्वतंत्रता का स्वरूप निर्धारित किया है। अपनी पुस्तक "On Liberty" में उसने लिखा है "समाज मानव-आचरण के केवल उसी अंश को नियंत्रित करता है जो दूसरे व्यक्तियों से संबंधित है। स्वयं अपने ही कार्यों में उसका अधिकार निरपेक्ष होता है।" मिल की स्वतंत्रता के संबंध में "वेपर ने कहा है कि स्वतंत्रता की यह परिभाषा इच्छाअनुसार कार्य करने की वैयक्तिक छूट पर सामाजिक अथवा बाह्य नियंत्रण का दरवाजा खोल देती है।

Scanned with CamScanner

मिल की स्वतंत्रता विषयक धारणा में दो बातों पर जोर दिया है।
(i) यदि व्यक्ति इच्छानुसार कार्य करने की वैयक्तिक छूट अपना स्वतंत्रता किसी संकटपूर्ण स्थिति से आगत न हो तो समाज के दूसरे व्यक्ति को इस छूट अपना स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो जाता है।
(ii) व्यक्ति के सभी कार्य स्वयं- सम्बन्धी तथा पर- सम्बन्धी कार्यों में बंटे होते हैं। व्यक्ति के स्वयं सम्बन्धी कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। परन्तु पर- सम्बन्धी कार्य जिससे दूसरों को हानी पहुँचती है। अथवा दुःख होता है, नियंत्रण के योग्य है।

स्वतंत्रता के प्रकार :— जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के दो प्रमुख प्रकार बतलाये है।
(i) विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Liberty of thought and Expression) एवं दूसरा
(ii) कार्य की स्वतंत्रता (Liberty of Action)

(1) विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :— मिल के मत में राज्य एवं समाज के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। व्यक्ति समाज के अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी तरह का विचार अभिव्यक्त कर सकता है। इस प्रकार मिल ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि विचार और अभिव्यक्ति के दमन से सामाजिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। मिल ने इस प्रकार से वैचारिक स्वतंत्रता का समर्थन करके उदारवादी समाज के मूल्य और महत्व को उजागर किया है। विचार की अभिव्यक्ति के समर्थन में मिल ने जो तर्क दिए है उसका निष्कर्ष अग्रांकित है।
(i) विचार -अभिव्यक्ति सत्य की खोज का माध्यम है। व्यक्ति सत्य की खोज करके अधिकतम सुख की प्राप्ति करता है। अतः सामाजिक उपयोगिता तभी कायम रह सकती है जब व्यक्ति की विचार-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबन्ध न हो।
(ii) राज्य और समाज जब विचार- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करता है तो इससे समाज की प्रगति अवरुद्ध होती है।
(iii) यदि समाज में हर व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की खुली छूट न हो तो हर व्यक्ति की तर्क बुद्धि कुंठित हो जायेगी और ज्ञान का विकास रुक जायेगा।

Scanned with CamScanner

(iv) जिस प्रकार गन्दगी के ढेर में सफाई तथा असफलता के ढेर में सफलता का मूल्य आंका जाता है, उसी प्रकार झूठी अफवाहों और मिथ्या भाषणों से सत्य की गहराई समझ में आती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने दूसरों के लिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करके एक सर्वसहिष्णु समाज और राज्य की कल्पना की है।

(ii) कर्म की स्वतंत्रता (Liberty of Action) :— जॉन स्टुअर्ट मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ कर्म की स्वतंत्रता को भी समान रूप से महत्व पूर्ण माना है। उसके अनुसार जब तक राज्य के व्यक्तियों को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक उनकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरर्थक है। परन्तु मिल के मत में, कर्म दो प्रकार के होते हैं (i) स्व-सम्बन्धी कर्म एवं (ii) अन्य-सम्बन्धी कर्म। जिन कर्मों से अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते वे स्व-सम्बन्धी कर्म हैं। इसके विपरीत जिन कर्मों से समाज के अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं उन्हें पर-सम्बन्धी कर्म कहते हैं। इस प्रकार जिन कर्मों से समाज के अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हों उन पर राज्य और समाज के नियंत्रण को मान्यता दी जा सकती है।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने विचार-अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का समर्थन करके ऐसे समाज और राज्य के प्रति अपनी दृढ़ आस्था स्पष्ट की है जिसमें विचारों और कर्मों के प्रति अनुचित अतिशय निषेधता वर्तमान हो। उसने कहा भी है कि जिस प्रकार विज्ञान की प्रगति का आधार निषेध अनिवार्य है उसी प्रकार समाज में भी जीवन और गति का आधार विभिन्नता और बहुमुखता (Variety) में निहित है।

मिल ने व्यक्ति के लिए कर्म की स्वतंत्रता के समर्थन में निम्न तर्क दिये हैं, जिसे संक्षेप में रख सकते हैं।

(i) व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी होता है। अतः उसे अपने संबन्धी कर्मों में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(ii) कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें व्यक्ति के कर्म दूसरों को नुकसान पहुँचाते हों। ऐसे कर्मों पर समाज और राज्य का प्रतिबन्ध उचित है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में आग नहीं लगा सकता, क्योंकि यह आग उसके पड़ोसियों के घरों को भी जला देगी।

(iii) मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और प्रसरण केवल स्वतंत्रता के वातावरण

Scanned with CamScanner

में ही कर सकता है। अतः व्यक्ति के स्व-सम्बन्धी कार्यों पर और समाज और राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

(iv) कार्य की स्वतंत्रता को उसी प्रकार उपयोगिता और महत्व दिया जाना चाहिए जिस प्रकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। व्यक्ति के अन्तःकरण का आन्तरिक स्थल अक्षुण और उन्मुक्त रखा जाना चाहिए।

(v) व्यक्ति की स्वतंत्रता से सामूहिक स्वतंत्रता पर कोई आँच नहीं आती। व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए आसानी से कोई संगठन बना सकते हैं। बशर्ते कि उससे दूसरों को नुकसान न होता हो।

प्रो० डेविडसन ने मिल के विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण को महत्व देने से मानव कल्याण में वृद्धि होती है तथा लोग प्रगति के लिए अग्रसर होते हैं। ऐसी प्रथाओं और विधियों का विरोध किया जाना चाहिए जिनसे वैयक्तिक स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित हो।

आलोचना :— जे० एस० मिल के स्वतंत्रता-सिद्धान्त की अनेक दृष्टियों से आलोचना की गई है।

(i) सिद्धान्त से वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं :— आलोचकों के अनुसार मिल के सिद्धान्त से वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इससे स्वतंत्रता सम्बन्धी कोई ठोस धारणा की उत्पत्ति नहीं होती।

(ii) तर्क निराधार और बलहीन :— अन्य उपयोगितावादियों की भाँति मिल ने भी प्राकृतिक अधिकार के किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं किया जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता विषयक उसकी धारणा निराधार और बलहीन हो जाते हैं। प्रो० बार्कर के अनुसार मिल खोखली स्वतंत्रता और अमूर्त व्यक्ति का प्रवक्ता था, अधिकारों का स्पष्ट दर्शन, जिससे स्वतंत्रता की धारणा को ठोस अर्थ प्राप्त होता है, उसके पास नहीं था।

(iii) समानता की उपेक्षा :— समाज में समानता के अभाव में वैयक्तिक स्वतंत्रता अधिक दिनों तक नहीं टिक सकती। अतः मिल को मानव कल्याण में वृद्धि हेतु स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता पर भी समान रूप से जोर देना चाहिए था। केवल स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद मिल के स्वतंत्रता सिद्धान्त का अपना महत्व है। मिल ने वैयक्तिक उपयोगिता और सामाजिक उपयोगिता में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। मिल के स्वतंत्रता सिद्धान्त की यथेष्ट सराहना की जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner